दिनांक-17.03.2018 को राजीव कुमार, भा0प्र0से0 उपायुक्त-सह- अध्यक्ष जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार की अध्यक्षता में Special Central Assistance (विशेष केन्द्रीय सहायता) योजना की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा समिति के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ किया गया एवं बताया गया कि केन्द्र सरकार के द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलो के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता योजना प्रारम्भ किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक संचालित होगा। इस मद अन्तर्गत Critical Gap से संबंधित अधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा तो कम समय में बेहतर परिणाम प्रदर्शित करते हो तथा वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में विधि व्यवस्था स्थापित की जा सके।

2. पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला अन्तर्गत दक्षिणी क्षेत्र यथा बरवाडीह, गारु, महुआडांड़ तथा बुढ़ा पहाड़ से सटे क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है एवं इन क्षेत्रों में पुल/पुलिया, सड़क, पेयजल तथा आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण/जीर्णोद्वार से उक्त क्षेत्र में वामपंथी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के Special Central Assistance (विशेष केन्द्रीय सहायता) अन्तर्गत निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव दिया गया-

I- बारेसाढ़ से तिसिया, तिसिया से सेमरखाड़ एवं तिसिया से नवाटोली पथ निर्माण के साथ ही उक्त पथ में अवस्थित नदी-नाले में पुल/पुलिया।

II- करमडीह, लात एवं बुढ़ा पहाड़ से सटे गांव में सोलर लाईट, पेयजल की सुविधा।

III- तिसिया में आंगनबाड़ी केन्द्र।

उक्त प्रस्ताव पर जिला स्तरीय जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा विचार विमर्श किया गया उपरोक्त योजना सं0-1 एवं 3 के क्रियान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार को स्थल जांच कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया। योजना सं0-2 के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को पुलिस अधीक्षक, लातेहार से समन्वय स्थापित करते हुये स्थल जांच कर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा बताया गया कि महुआडांड़ से चम्पा होते हुये ओरसा तक लगभग 9-10 किमी0 पथ का निर्माण आवश्यक है जिससे लातेहार जिला छतीसगढ़ से जुड़ जायेगा एवं विधि व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

उक्त प्रस्ताव पर जिला स्तरीय जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से उक्त योजना के क्रियान्यन की स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लातेहार को स्थल जांच कर 04 दिनों के अंदर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4.कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेश प्रमंडल, लातेहार के द्वारा Special Central Assistance (विशेष केन्द्रीय सहायता) अन्तर्गत 18 पुल/पुलिया निर्माण योजनाओं का प्रस्ताव समर्पित किया गया। योजनाओं की जनहित में उपादेयता एवं उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की गई तथा निम्न योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान करते हुये विगत पांच वर्षो में किसी भी मद से योजना नही लिये जाने के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ तीन दिनों के अंदर स्थल निरीक्षणोंपरांत तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया-

क्र0सं0	प्रखंड	पंचायत	योजना का नाम	अनुमानित लागत(लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
01	मनिका	बड़काडीह	ग्राम-बड़काडीह में रुपम उरांव के घर के पास चुरखा नाला में पुल निर्माण।	50.00
02	मनिका	बड़काडीह	ग्राम-बड़काडीह के बुढ़ीनाला में पुल पुल निर्माण।	50.00
03	मनिका	बड़काडीह	ग्राम-बड़काडीह बैरियाटांड़ टोला सेमर नाला में पुल निर्माण।	52.00

04	महुआडांड़	हानी	प्रखंड-महुआडांड के पंचायत-हानी के ग्राम-मेढ़ारी के बेड़ा नाला में पुल पुलिया निर्माण योजना।	51.00
05		गढ़बुढ़नी	ग्राम-केबराकी के केबराकी नाला में पुलिया निर्माण।	42.00
06	गारु	रुद	ग्राम-रुद के बगीचा नाला में पुल निर्माण योजना।	46.00
			योग :-	291.00

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त योजनाओं में से कुछ योजनाएं कोर एरिया एवं बफर एरिया अन्तर्गत भी है। अतः संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सत्यापित करा ली जाय कि प्रस्तावित योजनाओं में से कोई भी वन क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार)

4. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष ने बताया कि पुल-पुलिया के उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु पुल-पुलिया के दोनों ओर पहूंच पथ का होना अनिवार्य है। उक्त संबंध में समिति के सदस्यों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात् उपायुक्त-सह-अध्यक्ष के द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार को निदेशित किया गया कि स्वीकृत योजनाओं के प्राक्कलन समर्पित करने से पूर्व स्थल का जांच किया जाय तथा जांचोपरांत पुल-पुलिया में पहूंच पथ के संबंध में प्राक्कलन में प्रतिवेदन अंकित किया जाय। (अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार)

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष के द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लातेहार को निदेशित किया गया पथ निर्माण के प्राक्कलन में स्थल जांचोपरांत ही पथ का प्राक्कलन समर्पित किया जाय पथ की लम्बाई-चौड़ाई के साथ-साथ फ्लैंक, गार्डवाल आदि जो आवश्यक हो, उक्त सभी का प्रावधान प्राक्कलन में सुनिश्चित की जाय। तत्पश्चात् समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता ग्रा0कार्य0वि0, कार्य0प्र0प्रमंडल, लातेहार)

7. पुलिस अधीक्षक, लातेहार-सह-सदस्य जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा बताया गया कि लात एवं तिसिया क्षेत्र में स्कूल भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मति आवश्यक हैं एवं स्कूल तथा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में संविदा पर पारा शिक्षक एवं पारा मेडिकल कर्मी नियुक्त करते हुये की प्रतिनियुक्ति के साथ ही तीन वर्षों तक **Special Central Assistance** (विशेष केन्द्रीय सहायता) अन्तर्गत प्राप्त राशि से भुगतान का प्रस्ताव दिया गया।

उक्त प्रस्ताव पर जिला स्तरीय जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार के द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से मार्गदर्शन विभाग से प्राप्त करने हेतु सहमति दी गई।

(अनुपालन- निदेशक, डी0आर0डी0ए0, लातेहार।)

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला अन्तर्गत सुदुर क्षेत्रों के लिये सोलर अधारित Water Supply Scheme का चयन आवश्यक है ताकि सुदुर क्षेत्र के आम जन को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। समिति द्वारा सर्वसमम्मति से उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को पुलिस अधीक्षक, लातेहार से समन्वय स्थापित कर स्थल चयन करते हुये प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष के द्वारा सोलर अधारित Water Supply Scheme का बोरिंग सफल होने की स्थिति में ही अन्य उपस्कर की अधिष्ठान करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को दिया गया।

6. लातेहार जिला अन्तर्गत मरम्मति योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को समर्पित करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा लात, तिसिया, करमडीह, अक्सी, नावाटोली एवं बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र के आस पास क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर अतिरिक्त आंगनबाडी केन्द्र का प्रस्ताव भी समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। (अनुपालन- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार)

अन्त में सभी कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं के प्राक्कलन में निम्नांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया–

- किसी भी योजना के कार्यान्वयन विगत 05 वर्षों में किसी भी मद से नहीं कि गई है, का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।
- पुलिया निर्माण के लिए सार्वजनिक पथ के दोनों भाग में पथ की अनिवार्यता होगी।
- किसी व्यक्ति विशेष के लाभ हेतु योजना का चयन एवं कार्यान्वयन नही कराया जायेगा।
- समर्पित प्राक्कलन में Zero level Photograph तीन Angle से लेकर प्राक्कलन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे।

अन्त में उपायुक्त द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
उपायुक्त, लातेहार
–सह–
अध्यक्ष,
जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति,
लातेहार

ज्ञापांकः– 76(1) **/जि0वि0, लातेहार दिनांकः–** 17·3·18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखंड सरकार, रांची/प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त, झारखंड सरकार/ प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, लातेहार-सह-सदस्य, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रादेशिक वन प्रमंडल, लातेहार-सह- सदस्य, जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, व्याध्र परियोजना, कोर एरिया, मेदिनीनगर, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, व्याध्र परियोजना बफर एरिया, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, लधु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है उक्त कार्यवाही को जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

17/03/18

उपायुक्त, लातेहार
–सह–
अध्यक्ष,
जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय
समिति, लातेहार